

प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 06.09.2022

सोशल मीडिया पर गाली गुप्ता देने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद के अपराध एवं अपराधियों एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गीडा राहुल कुमार सिंह मय हमराहियान द्वारा मु0अ0सं0 358/22 धारा 67 IT ACT व 504/505बी/469 आईपीसी से सम्बन्धित अभियुक्त भोला यादव पुत्र अनिरुद्ध यादव निवासी नौसड़ थाना गीडा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विस्तृत विवरण - अभियुक्त द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार एवं शासन के मंशा के अनुरूप नौसड़ वार्ड को नये परशिमन के अनुसार मत्स्येन्द्र नगर करने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गुप्ता देते हुए भदे कमेंट करके वायरल किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

भोला यादव पुत्र अनिरुद्ध यादव निवासी नौसड़ थाना गीडा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक सैमसंग मोबाइल

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 358/2022 धारा 67 IT ACT व 504/505बी/469 आईपीसी थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 राहुल कुमार सिंह थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. का0 धनन्जय सिंह थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. का0 रामनारायन शुक्ला थाना गीडा जनपद गोरखपुर
4. का0 दीपक सिंह यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर